(4)

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15 जैसलमेर रोड ,बीकानेर राजस्थान

क्रमांक :F-4 ( )/मगसविबी/सा.प्र./विविध निविदा /2018/ 13805 दिनांक : 20.8.18

निविदा सूचना

विश्वविद्यालय में वार्षिक दर संविदा के लिए अनुभवी, पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों से अनुबंध निष्पादन कि तिथि से एक वर्ष के लिए मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं ,जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि रू.	निविदा शुल्क रू
1.	विभिन्न समारोहों हेतु डोम टेंट व्यवस्था	8.00	16,000/-	200/-
2.	विभिन्न समारोहों हेतु टेंट व्यवस्था	8.00	16,000/-	200/-
3.	माइक्रोसॉफ्ट अधिकृत फर्मो द्वारा कैंपस रिन्यूअल	3.65	7,300/-	200/-
4.	कैंटीन एवं अतिथि गृह संचालन	9.00	18,000/-	200/-
5.	फ्लेक्स प्रिंटिंग व आपूर्ति	3.00	6,000/-	200/-

नोट : 1.बिना धरोहर राशि, सशर्त,अपूर्ण निविदाएँ मान्य नहीं होगी 2. उक्त कार्य के लिए अलग-अलग मोहरबंद निविदाएँ लिफाफे में जिस पर प्रथक रूप से निविदा कार्य का नाम अंकित हो, धरोहर राशि मय निविदा शुल्क सहित उपरोक्तानुसार 30.08.18 दिनांक को मध्यान्ह 1:00 बजे तक कुलसचिव कक्ष में जमा की जायेंगी एवं उसी दिन मध्यान्ह 03:00 बजे निविदायें खोली जायेंगी 3.अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस में निविदा प्राप्त कर खोली जायेगी 4.निविदा प्रपत्र एवं शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.mgsubikaner.ac.in** एवं **http:// sppp .rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है , उक्त निविदा प्रपत्र एवं शर्तें डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती हैं 5. डाक द्वारा निविदाएँ मान्य नहीं होंगी ।

कुलसचिव

①
29

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

कार्य सेवा का नाम :

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में स्थित कैंटीन एवं अतिथि गृह संचालन।

संचालन हेतु वार्षिक दर संविदा प्रपत्र

निविदा–पत्र

कार्य का नाम–	कैंटीन एवं अतिथि गृह संचालन	निविदा फार्म एवं धरोहर राशि व निविदा शुल्क जमा करने की अवधि	30.8.18 मध्यान्ह 01:00 बजे तक
निविदा कमांक–	13805 / 20.8.18	निविदा खोलने की तिथि	30.8.18 मध्यान्ह 03:00 बजे
अनुमानित लागत धरोहर राशि निविदा शुल्क	रू. 9,00,000/- रु. 18,000/- रू. 200/-		

1. ....(वस्तुओं का नाम जिनके लिये निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिये निविदा ।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व **पूर्ण पता**..
   ....
3. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का पंजीकरण संख्या..(प्रति संलग्न है।)
4. किनको सम्बोधित किया गया..
5. संदर्भ..
   ....
6. निविदा शुल्क की राशि ....नकद रसीद........................एवं दिनांक...................................द्वारा रेखांकित पोस्टल ऑर्डर / ड्राफ्ट संख्या...के द्वारा जमा करा दी गई हैं ।
7. हम.......................................द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या ....दिनांक ..... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं । (इनके सभी पृष्ठों पर इनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण मे हमनें हस्ताक्षर कर दिये हैं ।)
8. उपर उद्धत की गई दरें एक वर्ष तक की अवधि के लिये विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।
9. बैंक ड्राफ्ट /बैंक चैक संख्या......................जो (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। दिनांक ....रूपये...... ....के लिये धरोहर राशि के पेटे संलग्न किया जाता है।
10. निविदा पत्र के साथ **GST प्रमाण** संलग्न है।

Tender

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

11. निविदा में अंकित कार्य के लिए संबंधित विभाग से पंजीयन प्रमाण–पत्र, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वयं का पहचान पत्र ड्राईविंग लाईसेंस/वोटर पहचान पत्र की प्रति।
12. भोजन व्यवस्था हेतु वैद्य अनुज्ञा पत्र । छाया प्रति संलग्न करनी है ।
13. पूर्व में किये गये **सरकारी कार्यालय/स्वायत्तशासी संस्थान** /विश्वविद्यालय में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र ।
14. गत तीन वर्ष के टर्नओवर के दस्तावेज ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Tender

Kuldeep Jain

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

निम्नलिखित मदों की आपूर्ति के लिये दरें अंकित की जानी हैं प्रदाय की जाने वाली सामग्री मात्रा उनमें प्रत्येक के सामने अंकित की गई है :-

1. निविदादाता का नाम (फर्म) का पूरा पता :..
   :..
   :..
2. फर्म एकल/भागीदारी (दस्तावेजों की सत्यप्रति संलग्न करें):..
3. भागीदारों के नाम :..
4. नाम जो लेनदेन करेगा मय अधिकार पत्र की प्रति :..
5. बैंक जिसके माध्यम से लेनदेन करते है :..
6. दरें नीचे लिखी तालिका में आईटमवाईज प्रत्येक की पृथक् पृथक् देनी हैं :–

अनुमोदित दरों व मीनू अनुसार भोजन इत्यादि अतिथियों को उपलब्ध कराना होगा व इससे अधिक राशि अतिथियों से नहीं लेगे व बिल उपलब्ध कराना व रिकार्ड संधारित करना आवष्यक होगा ।

क्र. सं.	नाम सामग्री	मापदण्ड	दर समस्त कर सहित (रूपयें प्रति आईटम) शब्दों एवं अंकों में
1.	चाय प्रति कप (चाय की पत्ती स्टेण्र्ड कंपनी की होनी चाहिए)	150 एम. एल	
2.	चाय (डिप डिप)	150 एम. एल.	
3.	गर्म दूध	200 एम. एल.	
4.	काफी प्रति कप (नेस्केफे/ब्रयु)	150 एम. एल.	
5.	समोसा/कचोरी/आलूकोफ्ता/ब्रेड पकोड़ा/पैटीज प्रति नग	70 ग्राम(उच्च श्रेणी के खाद्य तेल से निर्मित)	
6.	पोहा	100 ग्राम (उच्च श्रेणी के खाद्य तैल से निर्मित)	
7.	वेज सैंडविच/पनीर कोफ्ता/प्याज कचौरी/भेल–पुडी/	प्रति नग	
8.	ताजे फलों का रस (पाईनेपल/मौसमी/बील)	200 एम.एल. (आईटम वाईज दरें दी जाएं)	
9.	**मौसम के अनुसार ताज़े फलों का रस यथा** (पपीता/आम/गाजर)	200 एम.एल. (आईटम वाईज दरें दी जाएं)	
10.	**सुबह का नाश्ता**	**200 एमएल दूध (फीका/मीठा), कार्नफलैक्स, 02 नग कट्लेटस, 4 नग ब्रेड मय मक्खन, सॉस**	

Tender

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

11	साधारण भोजनः–	4 चपाती (देशी घी में चुपड़ी),, मौसमी सब्जी,दाल, चावल, रायता, सलाद, पापड, अचार	
12	भोजन थाली **(बर्तन, बैठक व्यवस्था व शुद्व फिल्टर्ड पानी बोतल एक लिटर पेयजल व्यवस्था सहित, आवश्यकता पडने पर बॉक्स पैकिंग में भी)**	चपाती/नान (4 नग) सूप, दाल फ्राई, 1 पनीर सब्जी,1 सीजनल मिक्स सब्जी, चावला फ्राइड, 1 पीस मिठाई अचार , सलाद, पापड, दही/रायता, 1 लीटर मिनरल जल	
13	नमकीन :– भुजिया / मिक्सर भुजिया (मोटी) / भुजिया (बीकाजी / भीखाराम चॉदमल / बिशनलाल बाबुलाल)	50, 100, 200, 500 ग्राम	एम.आर.पी.पर छूट प्रतिशत
14	चिप्स, कुरकुरे (लेज, अंकल चिप्स, बीकाजी)	प्रति नग (ग्राम सहित)	एम.आर.पी.पर छूट प्रतिशत
15	बिस्किट मीठे व नमकीन (पारले, बिटेनिया मेरीगोल्ड)	प्रति पैकेट (ग्राम सहित)	एम.आर.पी.पर छूट प्रतिशत
16	छाछ (सरस)	200 एम. एल.	एम.आर.पी.पर छूट प्रतिशत
17	लस्सी (सरस)	200 एम. एल.	एम.आर.पी.पर छूट प्रतिशत
18	दही (सरस)	200 एम. एल.	एम.आर.पी.पर छूट प्रतिशत
19	आईस्क्रीम (वाडिलाल, अमूल)	प्रति नग (ग्राम सहित)	एम.आर.पी.पर छूट प्रतिशत
20	मिनरल वाटर बोटल (बिसलरी / एक्वाफिना)	01 लीटर	एम.आर.पी.पर छूट प्रतिशत
21	चॉकलेट्स (अमूल / डेयरीमिल्क)	प्रति नग (ग्राम सहित)	एम.आर.पी.पर छूट प्रतिशत
22	शीतल पेय पदार्थ (कोका कोला, मरिंडा, थम्सअप, लिम्का, स्प्राईट, ड्यु, स्लाईस, माजा, रीअल ज्यूस)	200 / 500 एम एल, 1 लीटर व 2 लीटर	एम.आर.पी.पर छूट प्रतिशत
23	आर. ओ फिल्टर्ड पानी का केम्फर (लगभग 20 लीटर)	प्रति	एम.आर.पी.पर छूट प्रतिशत

नोट :

उपर्युक्त आईटमों के अतिरिक्त अन्य खाद्य / पेय पदार्थ (ब्राण्डेड) भी आवश्यकता व सुविधा अनुसार कैन्टीन **एवं अतिथि गृह** में रख सकेगा, जिसकी दरें अलग से विश्वविद्यालय से अनुमोदित करानी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर

Tender

(5)

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

कैंटीन एवं अतिथि गृह संचालन हेतु वार्षिक दर संविदा की शर्तें

1) निविदादाता द्वारा तकनीकी पात्रता हेतु वांछित शर्तें एवं निविदा की कार्यवधि :

1. निविदा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र पर ही भरकर देनी होगी । अन्य किसी फार्म / कागज पर भेजी गई निविदा अस्वीकार होगी।
2. किसी प्रकार की प्रति–शर्त (काउन्टर कंडीशन) मान्य नही होगी।
3. धरोहर राशि के बिना निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. निविदा में दी गई दर में किसी प्रकार की काट–छांट नही होनी चाहिए। किसी कारण काट–छांट की गई तो उस पर पूरे हस्ताक्षर निविदादाता के होना आवश्यक है अन्यथा उसके अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. निविदादाता का घोषणा–पत्र संलग्न होना चाहिए।
6. जी.एस.टी पंजीयन व कर चुकता प्रमाण–पत्र, संलग्न होना चाहिए।
7. निविदादाता का पंजीयन प्रमाण–पत्र आदि कम्पनी का है तो कम्पनी एक्ट के तहत प्रमाण–पत्र की प्रति एवं साझेदारी फर्म है तो साझेदारी डीड की प्रमाणित प्रति।
8. निविदा में अंकित कार्य के लिए संबंधित विभाग से पंजीयन प्रमाण–पत्र, खाद्य सुरक्षा **अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र** स्वयं का पहचान पत्र ड्राईविंग लाईसेंस / वोटर पहचान पत्र की प्रति।
9. भोजन व्यवस्था हेतु वैद्य अनुज्ञा पत्र धारी होना चाहिये । छाया प्रति संलग्न करनी है
10. निविदादाता को न्यूनतम एक वर्ष का सरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं या राजकीय विश्वविद्यालयों में कैंटीन एवं गैस्ट हाऊस संचालन तथा भोजन व्यवस्था का सफलता पूर्वक कार्य का अनुभव होना चाहिए जिसका अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए।
11. गत तीन वर्ष के टर्नओवर के दस्तावेज ।
12. वार्षिक दर संविदा एक वर्ष के लिए होगी, जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।
13. निविदाऐं, उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
14. निविदा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र पर ही भरकर देनी होगी अन्य किसी फार्म / कागज पर भेजी गई निविदा अस्वीकार होगी। धरोहर राशि रूपये 18,000/- अग्रिम बतौर टैण्डर के साथ लगानी होगीं। धरोहर राशि के बिना निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। भरी हुई निविदा सीलबंद लिफाफे निविदा सूचना मे जारी समयावधि में स्वीकार की जायेगी ।
15. सफल निविदादाता अनुमोदित होने पर बकाया प्रतिभूति राशि 27,000 / – रूपए जमा कराते हुए नियमानुसार राशि के नॉन ज्युडिशिअल स्टाम्प पर सात दिवस के अंदर–अंदर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

Tender

Kuldeep Jain

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

16. निविदा में दी गई दर में किसी प्रकार की काट–छांट नही होनी चाहिए। किसी कारण काट–छांट की गई तो उस पर पूरे हस्ताक्षर ठेकेदार के होना आवश्यक है अन्यथा उसके अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
17. **कैंटीन का संचालन विश्वविद्यालय के कैंटीन भवन में करना होगा, जिसका किराया /रखरखाव राशि रुपए तीन हजार रूपए प्रतिमाह विश्वविद्यालय कोष में अग्रिम जमा करवाना होगा।**
18. न्यूनतम **दरदाता** का **निर्धारण** अधिक मदों में न्यूनतम दर दाता के आधार पर **किया जाएगा।**
19. सामग्री की पैंकिग एवं फारवर्डिंग का अलग से कोई चार्ज नही देय होगा । दरें समस्त व्ययों एवं करों सहित ही भरी जाए ।

2. निविदादाता के दायित्व एवं किये जाने वाले कार्य का विवरण :

1. नगर परिषद/नगर पालिका/नगर निगम/संबंधित राज्य सरकार के विभाग से खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
2. कैंटीन **एवं अतिथि गृह** का संचालन विश्वविद्यालय के कैंटीन भवन **एवं अतिथि गृह** में करना होगा, **कैंटीन का किराया** (रु.3000/-) पत्र जारी होने के 7 **दिवस** में (प्रथम माह का किराया) विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाने के साथ **शेष** 11 माह **के किराए पेटे** 11 चैक अग्रिम जमा करवाने होगें । चैक बाउंस होने की स्थिति में प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये कैटिन संचालन बंद करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा ।
3. विश्वविद्यालय द्वारा लगाये ग**ए** सामान (भवन फिक्सचर) के रखरखाव/मरम्मत/ सफाई आदि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। अनुबंध समाप्त होने पर समस्त ऐसी सामग्री चालू हालत में ठेकेदार द्वारा विश्वविद्यालय को सुपुर्द करने पर ही प्रतिभूति राशि लौटायी जावेगी।
4. भवन सुरक्षा के सन्दर्भ में समस्त मानदण्डों की पालना ठेकेदार द्वारा की जायेगी।
5. कार्य की प्रकृति के आधार पर लागू होने वाले समस्त नियम–कानूनों की पालना ठेकेदार को करनी होगी।
6. ठेकेदार स्वयं को कैंटीन **एवं अतिथि गृह** चलानी होगी **तथा** सबलैट अथवा किसी अन्य को हस्तानांतरित नहीं करेगा।
7. कैन्टीन व उसके आस–पास की सफाई व्यवस्था ठेकेदार के जिम्मे होगी।
8. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रतिबंधित खाद्य सामग्री/ बीड़ी, सिगरेट/गुटखा/ नशीले पदार्थ बेचना निषिद्ध होगा अन्यथा इसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
9. समस्त खाद्य एवं पेय पदार्थों को बनाने में उत्तम क्वालिटी की सामग्री ही काम में ली जावेगी। तेल एगमार्का व शुद्ध देशी घी का उपयोग करना होगा। मसाले, गेहूँ वगैरह अन्य सामग्री भी शुद्ध व उच्च क्वालिटी की काम में लेनी होगी। सब्जियाँ भी ताजा काम में ली जावेंगी।
10. खाने व नाश्ते में उपयोग आने वाली सामग्री से तैयार खाद्य एवं पेय पदार्थ का प्रभारी अधिकारी, प्रबन्धक अतिथिगृह एवं अन्य अधिकृत व्यक्ति **तथा** विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त समिति द्वारा समय–समय पर कैन्टीन **एवं अतिथि गृह** संबंधी शर्तों के पालन एवं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

की जांच कर सकेगी। निविदा शर्तो/सामग्री की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी पाए जाने एवं शुद्ध व सही सामग्री नहीं पाई जाने पर सामग्री दूसरी लाकर भोजन, नाश्ते आदि की व्यवस्था तत्काल करनी होगी। साथ ही एक सप्ताह के अंदर अंदर कमी पूर्ति नहीं करने पर नियमानुसार निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

11. खाने एंव चाय की व्यवस्था हेतु ठेकेदार द्वारा गैसचूल्हे का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है । इलेक्ट्रीक हीटर का प्रयोग पाये जाने पर निविदादाता के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी ।
12. भोजन व नाश्ते में किसी अतिथि द्वारा की गई शिकायत सही पाए जाने पर अतिथि से वसूल की गई राशि वापस लौटानी होगी।
13. किसी भी समय खाद्य निरिक्षक द्वारा भोजन के नमूने लिये जा सकते है जिसको राजकीय प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजा जा सकता है । निविदा शर्तो/सामग्री की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी पाए जाने एवं कमी पूर्ति नहीं करने पर नियमानुसार निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
14. भोजन उच्च गुणवता का होना चाहिए । दूषित भोजन के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिये निविदादाता स्वयमं जिम्मेदार होगा ।
15. समारोह स्थल पर भोजन शाला की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिऐ जिससे सभी को सुविधा युक्त भोजन करने में आसानी रहें ।
16. कैन्टीन एवं अतिथि गृह में रखे गये सामान का विवरण, दर कैन्टीन के काउन्टर/बोर्ड पर लिखनी होगी।
17. ठेकेदार द्वारा अतिथिगृह में निर्धारित मीनू व दरों पर चाय , नाश्ता व खाना अतिथियों को उपलब्ध कराना होगा। अतिथियों को खाने का बिल उपलब्ध कराना होगा।
18. निर्धारित दरों के अतिरिक्त अन्य खाद्य सामग्री की दरे विश्वविद्यालय प्रशासन से मान्य कराने के बाद ही कैन्टीन एवं अतिथि गृह में रख सकेगे।
19. सामग्री पूर्ण सफाई व शुद्धता के साथ बनानी होगी।
20. नाश्ते व भोजन के लिए अच्छी किस्म की प्लेटें, कटोरियां व चम्मच रखने होंगे तथा टिशु पेपर भी रखने होंगे। डायनिंग हॉल को नियमित सफाई कराने स्वच्छ रखने एवं सुगंधित रखना होगा।
21. शिकायत पंजिका रखनी होगी जो अतिथियों को उनकी टिप्पणी /राय हेतु उपलब्ध करानी होगी। निंतर शिकायत मिलने पर निविदा प्रभारी अधिकारी की अनुशंषा पर कुलसचिव महोदय द्वारा निविदा निरस्त करके सुरक्षा राशि जब्त की जा सकती है।
22. भोजन व नाश्ते की संख्या की पुष्टि स्वरूप अतिथि का नाम व पता सहित रजिस्टर का संधारण करना होगा जिसकी समय–समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच की जाएगी।
23. विश्वविद्यालय से सम्बंधित कार्यक्रमों में सक्षम स्वीकृति (कुलपति महोदय/ कुलसचिव महोदय) के अनुसार खाना व नाश्ता उपलब्ध कराना होगा।
24. किचन, डायनिंग हॉल, संबंधित एरिया की सुरक्षा (आग दुर्घटना आदि), साफ सफाई की जिम्मेदारी संवेदक की होगी, कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

Kuldeep Jain

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

25. अतिथि गृह में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से विशिष्ट अतिथि के लिए चाय, पानी, भोजन आदि की विशेष व्यवस्था करनी होगी।

26. विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगी। संपूर्ण सामग्री कर आदि के व्यय संवेदक को वहन करने होंगे।

27. विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताऐ प्राप्त एक अथवा सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

28. डाईनिंग टेबल, फर्नीचर इत्यादि की साफ–सफाई मच्छरों व कीट पतंगों इत्यादि से रहित रखने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी ।

29. ठेकेदार द्वारा अतिथियों को अतिथिगृह के डाईनिंग हॉल में ही खाना खिलाना होगा, कमरों में खाना नहीं दिया जाएगा।

30. विश्वविद्यालय अतिथि गृह के कक्ष खाली होने की स्थिति में भी ठेकेदार के स्टाफ़ द्वारा उनका उपयोग नहीं किया जाएगा ।

3. निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले श्रमिकों के समबन्ध में शर्तें:

1. कैन्टीन एवं अतिथि गृह में स्वस्थ कार्यकर्ता ही मान्य होंगे। ठेके से संबंधित कार्य करवाने के लिए उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों का चरित्र उत्तम होना चाहिये **जिसकी संपूर्ण** जिम्मेदारी ठेकेदार ही होगी।
2. ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के व्यवहार संबंधी शिकायतें आने पर कर्मचारियों को तुरंत बदलने की कार्यवाही करनी होगी अन्यथा ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
3. अनुबंध अवधि में संवेदक या उसके कार्मिकों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों व अतिथियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा, किसी प्रकार की शिकायत आने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
4. अतिथि गृह में संवेदक का कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाम, पते, दूरभाष नम्बर, वोटर आई.डी. प्रूफ, फोटो आदि संवेदक उपलब्ध करवायेंगे तथा संवेदक कर्मचारी निर्धारित वर्दी में रहेंगे। कार्मिकों की दुर्घटना आदि की जिम्मेदारी संवेदक की रहेगी।
5. कम से कम दो राजपत्रित अधिकारियों/प्रतिष्ठित व्यक्तियों से अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6. ठेकेदार द्वारा बाल श्रमिक अधिनियम की पालना की जानी अनिवार्य होगी।
7. ठेकेदार को प्रचलित श्रमिक कानूनों का पूर्णतया पालन करना होगा एवं उनके भुगतान का पूर्ण उत्तरदायित्व भी स्वयं संवेदक का होगा। किसी भी श्रमिक द्वारा कोई भी वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा निर्धारित पूर्ण भुगतान तथा क्षतिपूर्ति की पूर्ण जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। विश्वविद्यालय वाद में पक्षकार नहीं होगा ।

8. ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि/श्रमिकों या अतिथियों द्वारा संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान से बचाना होगा, नुकसान होने कि अवस्था में उसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी व नुकसान की वसूली ठेकेदार से की जावेगी।

9. ठेकेदार के द्वारा उक्त अनुबंध के लिए 24 घण्टे कार्य करने हेतु आवश्यक रूप से (न्यूनतम 3) सहायक यथा एक Attendant, एक कुक कम वेटर एवं एक सफाई कर्मी आवश्यकरूप से रखने होंगे। विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले विभिन्न समारोहों यथा दीक्षान्त समारोह, सम्मेलन/संगोष्ठी आदि के समय पर चाय, नाश्ते, खाने की आवश्यकतानुसार व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी ।

10. विश्वविद्यालय में भोजन/अल्पाहार बनाकर व्यवस्था करने में समस्त सामग्री तथा मजदूरों की व्यवस्था स्वयंम निविदादाता की होगी जिसके लिये विश्वविद्यालय द्वारा अलग से कोई चार्ज नही दिया जायेगा ।

4. निविदादाता को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सुविधाएं :

1. कैंटीन संचालनकर्त्ता/संवेदक को प्रतिमाह प्रथम 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध होगी एवं 50 यूनिट से अधिक उपभोग पर कैंटीन संचालक को संपदा अधिकारी से उपभोग यूनिट का सत्यापन कराते हुए प्रतिमाह बिल का भुगतान विश्वविद्यालय कोष में जमा कराते हुए सूचना सामान्य प्रशासन अनुभाग में देनी होगी। अतिथि गृह में विद्युत्–पानी का दुरूपयोग होना पाये जाने पर ठेकेदार के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

2. कैंटीन संचालन हेतु ठेकेदार को आधारभूत सुविधाएँ (बैठने की व्यवस्था, बिजली कनेक्शन, पंखे, पानी) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जावेगी जिसके रख–रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की ही होगी।

3. अतिथिगृह में लगे समस्त उपकरणों यथा रेफ्रीजिरेटर, ओवन आदि का उपयोग संवेदक द्वारा किया जा सकेगा परन्तु टूट–फूट व रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। सामग्री का रजिस्टर संधारित रहेगा, इसमें संवेदक के प्राप्ति स्वरूप हस्ताक्षर होंगे। उक्त सामग्री को कार्यवधि समाप्त होने के पश्चात मूल रूप से आवंटित स्थिति में ही विश्वविद्यालय को सुपुर्द करनी हेागी ।

4. कैन्टीन एवं अतिथिगृह संचालन हेतु आवश्यकता अनुसार, ओवन एवं समस्त प्रकार की कॉकरी बर्तन, गैस सिलेण्डर एवं चूल्हा आदि की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जायेगी । भोजन/अल्पहार की व्यवस्था हेतु केंटरिंग तथा आवश्यक श्रमिकों की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जाएगी।

Tender

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

5- कैंटीन एवं अतिथि गृह में आगंतुकों को उपलब्ध कराए गए खाद्य एवं पेय पदार्थों की निर्धारित दरों से प्राप्त राजस्व का स्वामित्व ठेकेदार का होगा । अतिथि गृह कक्षों का किराया विश्वविद्यालय कोष में जमा होगा ।

अन्य शर्तें:

1. **कैंटीन एवं अतिथि गृह का संचालन प्रबंधक अतिथि गृह के निर्देशानुसार करना होगा ।**
2. शर्तों का उल्लंघन करने पर सुरक्षा राशि जब्त की जावेगी।
3. अमानत राशि सुरक्षा /धरोहर राशि में निविदादाता की सहमति से समायोजन किया जा सकता है। धरोहर व अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
4. नियमानुसार जीएसटी / टीडीएस /आयकर एवं अन्य कर की कटौती की जावेगी।
5. नशीले पदार्थ, अण्डे व मांसहारी भोजन का उपयोग किसी भी परिस्थितियों में नहीं होना चाहिए ।शिकायत मिलने पर सुरक्षा राशि जब्त करके ठेका निरस्त किया जा सकता है।
6. संवेदक को प्रतिभूति राशि प्राप्त करने से पूर्व प्रबंधक अतिथिगृह से अदेय–प्रमाण पत्र (No dues certificate) प्राप्त करना होगा।
7. संवेदक बिना किसी उचित कारण के ठेका बीच में छोड़कर नहीं जा सकता।
8. बीच में ठेका छोड़ने की स्थिति में विश्वविद्यालय को होने वाले समस्त नुकसान की भरपाई संवेदक की धरोहर राशि में से की जाएगी।
9. कैंटीन संचालन का समय प्रातः 09:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक होगा। सांय पांच बजे के पश्चात कैंटीन खुले रहने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी । विशेष परिस्थितियों में समय का निर्धारण विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किया जा सकता है।
10. कुलपति / कुलसचिव / वित्त नियंत्रक / परीक्षा नियंत्रक कार्यालय एवं विशेष समारोह स्थल पर आवश्यकता होने पर सेवाएँ दी जानी अनिवार्य होगी।
11. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को माननीय कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।
12. समस्त विधिक कार्यवाहियॉ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (विश्वविद्यालय या ठेकेदार) द्वारा बीकानेर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जा सकती।
13. **धरोहर राशिः–**

(i) निविदा के साथ धरोहर राशि के 18,000/– रूपए नकद राशि या डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा जमा होनी चाहिये जिसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशि कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के पक्ष में जमा करायी जानी चाहिये।

(ii) धरोहर राशि निविदा के अंतिम रूप से स्वीकार किये जाने एवं अनुबंध हो जाने के बाद यथाशीघ्र विफल निविदादाता को प्रत्यार्पित कर दी जायेगी। सफल निविदाकारों को करार के समय सामग्री मुल्य की पॉच प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

होगी, जिसमें उनके द्वारा जमा धरोहर राशि का समायोजन कर लिया जावेगा शेष प्रतिभूति राशि भी नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी होगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(iii) राजस्थान के लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों को निदेशक उद्योग विभाग द्वारा जारी किए पंजीयन प्रमाण–पत्र, क्षमता प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर 0.5 प्रतिशत धरोहर राशि ली जाएगी तथा आदेशित मूल्य 1 प्रतिशत प्रतिभूति राशि ली जावेगी।

(iv) केन्द्र सरकार या राजस्थान सरकार के उपक्रमों से उपरोक्तानुसार धरोहर राशि तथा प्रतिभूति निक्षेप देने की अपेक्षा नहीं की जावेगी।

14. निविदा की स्वीकृति, अनुबंध एवं प्रतिभूति राषि:–

(i) किसी भी निविदा को स्वीकार करने में महाराजा गंगासिहं विश्वविद्यालय, बीकानेर के लिए आवश्यक नहीं है कि वह न्युनतम दर की निविदा हो।

(ii) विश्वविद्यालय के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। जिन वस्तुओं के लिए निविदा की गयी है, उनकी पूर्ण मात्रा या उसके किसी भाग के लिए विश्वविद्यालय की ईच्छानुसार आदेश दिए जा सकते हैं तथा विशेष परिस्थिति में सामग्री की विश्वविद्यालय में पचास प्रतिशत तक वृद्धि एवं कमी की जा सकती है।

(iii) सफल निविदादाताओं को अपने खर्चे पर निविदा स्वीकार करने की सूचना जारी होने के दस दिवस में निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगी:–

1. जिसमें निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार निर्धारित राशि के के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादित करना होगा।
2. संविदा के यथावत क्रियान्विती के लिए प्रस्तावित कार्यादेश के मूल्य के 5 प्रतिशत बराबर प्रतिभूति राशि नगद/ड्राफ्ट द्वारा तीन दिवस में जमा करानी होगी। यदि निविदादाता विहित कालावधि में प्रतिभूति राशि जमा कराकर करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निबंधनों तथा शर्तों का भंग होना माना जाएगा एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। तदुपरान्त बिना नोटिस अन्य निविदादाताओं को क्रय आदेश देने का अधिकार होगा। प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग इकाई को शर्त संख्या 2 के (iii) में वर्णित सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर सफल निविदादाता को नियमानुसार छूट दी जावेगी। प्रतिभूति राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

(iv) निबंधनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढ़ंग से पूरा करने पर केता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशतः प्रतिभूति राशि जब्त करली जावेगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय का विनिश्चय ही अंतिम होगा।

(v) प्रतिभूति राशि बिलों का अंतिम भुगतान हो जाने एवं समस्त संबंधितों से संतोषप्रद कार्य की सूचना प्राप्त होने एवं संविदा **की कार्यावधि** पूर्ण होने के पश्चात् के धरोहर/प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी, ऐसी प्रतिभूति राशि पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

(vi) धरोहर राशि अथवा प्रतिभूति राशि का विप्रेक्षण व्यय (रिमिटेंस चार्जेज) संविदादाता द्वारा वहन किए जाऐंगे।

15. इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य षर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख उपर नहीं किया गया है, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार होगी ।
16. क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने किसी भी निविदा के बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने और किसी भी निविदा को रद्द करने या किसी या अधिक वस्तुओं जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक के अधक वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं ।
17. किसी प्रकार की विवाद होने पर न्याय क्षेत्र बीकानेर होगा।
18. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को माननीय कुलपति को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।
19. समस्त विधिक कार्यवाहियॉ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (विश्वविद्यालय या ठेकेदार) द्वारा बीकानेर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जा सकती।

कुलसचिव

मै/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने पूर्ण सावधानी पूर्वक उपर्युक्त सभी शर्तें स्वीकार करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर

Tender

Kuldeep Jain

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

अनुलग्नक–"अ"

सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदेका कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा;

(ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Tender

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

अनुलग्नक "ब"

निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोशणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा कमांक.................दिनांक.....................के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शीता अधिनियम, 2012 के खंड 7 के अतंर्गत यह घोशणा करते है कि

01. मै/हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तिय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते है ।
02. मै/हम निविदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते है ।
03. मैं/हम ना ही दिवालिया घोशित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रकियाधीन है ।
04. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/अधिकारियों द्वारा निविदा प्रक्रिया के दौरान गत तीन वर्शे में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रकिया से निष्कासित नही किया गया है ।
05. मै/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो ।

स्थान : ....
तारीख : ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

Tender

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

अनुलग्नक "स"

निविदा प्रकिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.............कुलसचिव महाराजा गगांसिंह विश्वविद्यालय जैसलमेर रोड, बीकानेर

द्वितीय अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.............कुलपति महाराजा गगांसिंह विश्वविद्यालय जैसलमेर रोड, बीकानेर

1. यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लघन में हे तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार,- जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चिय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारिख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व –अर्हता दस्तावेजो या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगाः

परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोशणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहीयों में भाग लिया हैः

परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वितिय बोली को खोलन से पूर्व तकनीकी बोली का मुल्यांकन करती है, वहा वितिय बोली के मामले से सबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है ।

1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा – 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, है अपील पर यथासंभव शीध विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारिख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा ।
2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यथित हे तो बोली लगाने वाला या, या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारिख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितिय अपील दाखिल कर सकेगा ।
3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलो से संबंधित किसी विनिश्चय के विद्वध कोई अपील नहीं होगा ।

   अर्थातः

   कः उपापन की आवश्यकता का अवधारण

   ख बोली प्रकिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध

   ग. यह विनिश्यक की निबंधनो में बातचीत की जाये या नहीं

   घ. निबन्धनों में उपापन प्रकिया का रद्दकरण

   ड. गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना ।
4. **अपील का प्ररूप.**– (1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

Tender

Kuldeep Jain

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

5. अपील फाइल करने के लिए फीस.–

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

6. अपील के निपटारे की प्रक्रिया.–

(1) प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Tender

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

प्ररूप सं. 1
(नियम 83 देखिए)
राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील
का ज्ञापन

.... की अपील सं. ....
(प्रथम / द्वितीय अपील प्राधिकारी) .... के समक्ष
1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :
(i) अपीलार्थी का नाम :..
(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :..
(iii) आवासिक पता :
2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :
(i)
(ii) .
(iii)
3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी / प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :
4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :
5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या :
6. अपील का आधार :
....
....
....
.... (शपथपत्र द्वारा समर्थित)
भाग 4 (ग) राजस्थान राज–पत्र, जनवरी 24, 2013 155(69)
7. प्रार्थना : ....
....
....
स्थान : ....
तारीख : ....
अपीलार्थी के हस्ताक्षर

Tender

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

अनुलग्नक "द"

निविदा की अतिरिक्त शर्तें

1. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार**

बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर,सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का

सुधार करेगी, अर्थात् :—

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी हैं, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे योग में सुधार किया जायेगा ; और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

2. **किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार**.— उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

परिमाण में परिवर्तन का अधिकार.—

(1) संविदा के अधिनिर्णयके समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यँह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपंबधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी —

(क) संकर्मो की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 20 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत।

3. . **अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन**.—

सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब

Tender

Kuldeep Jain

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

निविदादाता के हस्तारक्षर मय सील

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

रुपए 100/- के नॉन -जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निविदादाता द्वारा जाने वाला शपथ पत्र

समस्त शर्तों का पूर्णत: अध्ययन कर समझ लिया है एवं मुझे समस्त शर्तें स्वीकार हैं। मैं यह सब कार्य पूर्ण होश- हवास एवं पूरी जानकारी प्राप्त करके करके रहा हूँ और यह सनद रहे एवं इसमें किसी प्रकार की अपूर्णता /त्रुटी पाई जाती है /घोषणा का पालन नहीं किया जा रहा है तो मेरी फर्म पूर्णतया ज़िम्मेदार होगी, जिसके लिए वैधानिक कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

मेरी फर्म खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है जिसके पंजीकरण प्रमाण पत्र है की फोटो प्रति एवं GST प्रमाण पत्र, आदि दस्तावेज संलग्न अपलोड कर दिए हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर एवं दिनांक